भारत का राजपत्र
असाधारण

भाग III,खंड IV
भारतीय रिज़र्व बैंक के
प्राधिकार से प्रकाशित

अधिसूचना

मुंबई, 16 अक्तूबर 2009

सरकारी प्रतिभूतियाँ - प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन का पृथक व्यापार (स्ट्रिप्स)

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 की धारा 2(i) के साथ पठित उसी अधिनियम की धारा 11(2) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि सरकारी प्रतिभूतियों का स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के अधीन होगा :-

I. परिभाषा :

(क) स्ट्रिप्स (प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन का पृथक व्यापार) भिन्न, पृथक प्रतिभूतियाँ हैं जो सरकारी प्रतिभूति के नकदी प्रवाह से सृजित होती हैं तथा निम्नलिखित से बनती हैं :-

(i) कूपन स्ट्रिप्स, जहाँ स्ट्रिप का एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के कूपन प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है ।

(ii) मूल स्ट्रिप, जहाँ स्ट्रिप का एकल नकदी प्रवाह मूल प्रतिभूति के मूल नकदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है ।

<u>स्पष्टीकरण</u> : प्रतिभूति की स्ट्रिपिंग के परिणामस्वरूप बकाया कूपन भुगतान तथा एक मूल स्ट्रिप के मोचन भुगतान होंगे । तदनुसार प्रत्येक स्ट्रिप "शून्य कूपन बॉण्ड" बन जाएगी क्योंकि परिपक्वता पर उसका केवल एक नकदी प्रवाह होगा । प्रत्येक स्ट्रिप एक भिन्न सरकारी प्रतिभूति होगी और उसकी एक भिन्न अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आइएसआइएन) होगी ।

(ख) "स्ट्रिपिंग" का अर्थ है, नियमित सरकारी प्रतिभूति से जुड़े नकदी प्रवाह को पृथक करने की प्रक्रिया अर्थात प्रत्येक बकाया अर्ध वार्षिक कूपन भुगतान तथा अंतिम मूलधन के भुगतान को पृथक प्रतिभूतियों में परिवर्तित करना ।

(ग) "पुनर्गठन" का अर्थ है, स्ट्रिपिंग की विपरीत प्रक्रिया, जहाँ स्ट्रिप्स को फिर से मूल प्रतिभूति बनाने के लिए दुबारा इकट्ठा किया जाता है ।

(घ) "प्राधिकृत संस्था" का अर्थ वह प्राथमिक व्यापारी अथवा अन्य कोई संस्था है जिसकी पहचान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के धारक से प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/ पुनर्गठन के लिए उनके धारकों से अनुरोध स्वीकार करके भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुतकर्ता के रूप में की गई है ।

II. स्ट्रिप्स के लिए शर्तें :

1. सरकारी प्रतिभूतियों की स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक ऋण कार्यालय में पीडीओ-एनडीएस (तयशुदा लेन-देन प्रणाली) में की जाएगी ।

2. सभी दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ, अस्थायी दर बॉण्ड के अतिरिक्त, जिनकी कूपन भुगतान की तारीख 2 जनवरी तथा 2 जुलाई है, परिपक्वता का वर्ष चाहे कोई भी हो, स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की पात्र होंगी ।

3. उसी परिपक्वता तारीख वाली सभी कूपन स्ट्रिप्स की आइएसआइएन वही होगी, चाहे निहित प्रतिभूति कोई भी हो, जिससे ब्याज का भुगतान अलग किया जा रहा है तथा उसी नकदी प्रवाह की कूपन स्ट्रिप्स प्रतिमोच्य (आपस में अदला-बदली होने वाली) होंगी । कूपन स्ट्रिप्स की आइएसआइएन मूल स्ट्रिप्स के आइएसआइएन से भिन्न होगी, चाहे उनकी परिपक्वता तारीख वही हो, तथा वे प्रतिमोच्य नहीं होंगी ।

4. धारक के विकल्प पर स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन सरकारी प्रतिभूति जारी करने की तारीख से उसकी परिपक्वता तक कभी भी किया जा सकता है ।

5. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन केवल उन पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के लिए अनुमत होगा जो लोक ऋण कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के पास सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल)/ग्राहकों की सहायक सामान्य खाता बही (सीएसजीएल) खाते में रखी गई हो । प्रत्यक्ष प्रतिभूतियाँ स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन की पात्र नहीं होंगी ।

6. सरकारी प्रतिभूतियों के धारक स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए अपना अनुरोध केवल "प्राधिकृत संस्थाओं" के समक्ष रखेंगे ।

7 रिज़र्व बैंक स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए कोई शुल्क प्रभारित नहीं करेगा ।

8. स्ट्रिपिंग/पुनर्गठन के लिए प्रस्तुत की जा सकने वाली प्रतिभूतियों की न्यूनतम राशि 1 करोड़ रु अथवा उनके गुणजों में होनी चाहिए ।

9. ये शर्तें अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होंगी ।

(एच.आर. खान)
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक

आंऋप्रवि.डीओडी.1762/11.01.09 /2009-10